संख्याः 1326/XXIV-3/09/02(35)/2009

प्रेषक,

डा0 राकेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

उप महानिदेशक
एन0सी0सी0 निदेशालय
बंगला नं0 पी–4,नागनाथ रोड,घंघोड़ा, कैण्ट,
देहरादून,उत्तराखण्ड।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांक 04 सितम्बर,2009

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2009–10 में राष्ट्रीय छात्र सेना दल (एन0सी0सी0) की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आय–व्ययक की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग–1,उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–515/XXVII(1)/2009,दिनांक 28 जुलाई,2009 के क्रम में शासनादेश संख्याः 1199/XXIV–3/09/02(35)/2009–T.C दिनांक 07 अगस्त, 2009 द्वारा बचनबद्व मदों की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में राष्ट्रीय छात्र सेना दल (एन0सी0सी0) विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार **अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए आयोजनागत पक्ष की अबचनबद्ध मदों में रू0 1980 हजार एवं आयोजनेत्तर पक्ष की अबचनबद्ध मदों में रू0 23525 हजार, इस प्रकार कुल रू0 25505 हजार (रूपये दो करोड़, पच्चपन लाख,पॉच हजार मात्र) की धनराशि**,को आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। बचनबद्ध मदों से भिन्न मदों एवं समस्त चालू निर्माण कार्य,नये निर्माण कार्य,उपकरण व संयंत्र का क्रय तथा वाहन क्रय की स्वीकृतियों के प्रस्ताव पूर्ण औचित्य सहित शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे।

2– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही नियोजन विभाग द्वारा आबंटित परिव्यय की सीमा तक किये जाने का दायित्व आपका होगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग चालू वर्ष की नई मदों के क्रियान्वयन हेतु नहीं किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/शासनादेशों के तहत निम्नलिखित शर्तो के अधीन किया जायेगाः–

1– योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों केअनुरूप ही किया जायेगा तथा जहा आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

2– यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैन्युवल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

3– अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

4– आबंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय।

5– मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

6– व्यय सम्बन्धी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जांय उनमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

क्रमशः 2:

7– स्वीकृत धनराशि की जिलावार फॉट सम्बन्धित जिलों एवं शासन को तीन दिन के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

8– वित्तीय वर्ष 2009–10 में इसके पूर्ववर्ती वर्षों के एरियर भुगतान यदि कोई हो, के विवरण की सूचना अलग से रखी जाय।

9– अप्रैल,2009 से नये पदों के भरे जाने के फलस्वरूप होने वाले व्यय के सापेक्ष श्रेणीवार पदों (समूह "क" "ख" "ग" व "घ") की सूचना रखी जाय।

10– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुवल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

11– निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की टैक्निकल स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यों की लक्ष्य के अनुसार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा/अनुश्रवण अनिवार्य रूप से किया जाय।

12– किसी अनुदान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि का बगैर शासन की सहमति के किसी भी प्रकार से पुनर्विनियोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।

13– बजट मैन्युवल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जानी वाली सूचना समय से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

14– वाह्य सहायतित परियोजनाओं, अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए ट्राइबल सबप्लान के अन्तर्गत आवंटित परिव्यय के सापेक्ष बजट प्राविधान को अन्य योजना हेतु व्यावर्तित न किया जाय।

15– किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम सग्रह खण्ड–पॉच भाग–1 (लेखा नियम) आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों, आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

16– यदि किसी योजना/शीर्षक एवं मद में आय–व्ययक 2009–10 में बजट प्राविधान लेखानुदान में प्राविधानित धनराशि से कम हो तो धनराशि आय–व्यय के प्राविधान की सीमा तक ही व्यय की जायेगी।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा 80–सामान्य 800–अन्य व्यय 04–राष्ट्रीय सेना छात्र दल 00–आयोजनेत्तर पक्ष के मानक मद 42–अन्य व्यय के अधीन संलग्नक में उल्लिखित सम्बन्धित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 378 (P)/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 3 /2009, दिनॉक 01सितम्बर,2009 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

संलग्नक– यथोपरि

(डा0 राकेश कुमार)
सचिव ।

क्रमशः....3

संख्याः 1326(1) /XXIV-3/09/02(35)/2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
3– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
6– निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– आयुक्त कुमायूँ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
8– मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक,गढ़वाल मण्डल–पौड़ी/कुमायूँ मण्डल,नैनीताल।
9– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11– समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12– वित्त विभाग/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
13– कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग) उत्तराखण्ड शासन।
14– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
15– अनुभाग अधिकारी,शिक्षा अनुभाग–2,4 एवं 5 उत्तराखण्ड शासन।
16– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पी0एल0शाह)
उप सचिव।

शासनादेश संख्याः **1326/XXIV-3/09/02(35)2009** दिनांक 04 सितम्बर,2009 का संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2009--10 धनराशि हजार रुपये में।

लेखा शीर्षक		आयोजनागत	आयोजनेत्तर
2202--	**सामान्य शिक्षा**		
80--	**सामान्य**		
001--	**निदेशन तथा प्रशासन**		
03--	**एन0सी0सी0 निदेशालय अधिष्ठान**		
	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	260	
	14 कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कार/मोटर गाड़ियों का क्रय	500	
	16 व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	10	
	42 अन्य व्यय	20	
	44 प्रशिक्षण	5	
	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	250	
	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी क्रय	50	
	योग, 03	**1095**	0
	योग,001	**1095**	0
800--	**अन्य व्यय**		
04--	राष्ट्रीय सेना छात्र दल		
	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण		170
	16 व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान		100
	18 प्रकाशन		25
	42 अन्य व्यय		22500
	44 प्रशिक्षण		30
	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय		500
	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी क्रय		200
	योग 04		**23525**
05--	**एन0सी0सी0 रिमान्ड एण्ड वेटनरी स्क्वाड्रन की स्थापना**		
	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10	
	16 व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	10	
	42 अन्य व्यय	40	
	44 प्रशिक्षण व्यय	5	
	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	50	
	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	20	
	योग 05	**135**	

वित्तीय वर्ष 2009–10 धनराशि हजार रुपये में।

लेखा शीर्षक		आयोजनागत	आयोजनेत्तर
07–	एयर स्क्वाड्रन एन0सी0सी0 की स्थापना		
	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	60	
	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	400	
	42 अन्य व्यय	200	
	44 प्रशिक्षण व्यय	10	
	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	50	
	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी क्रय	30	
	योग 04	750	
	योग, 800	1980	23525
		योग 25505	

(रुपये दो करोड़ पच्चपन लाख पॉच हजार मात्र)

(पी0एल0 शाह)
उप सचिव।